न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—253/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/253)

1. जगदीश पुत्र गोपीराम उम्र करीबन 24 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. गोपी पुत्र देवा
2. झमरी पत्नि देवा
3. गणेशी देवी पत्नि नारायण
4. नन्दराम पुत्र किशना
5. नारायण पुत्र माधू

   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
6. रामराज पुत्र गोपी चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
7. बैंक ऑफ बडौदा जरिए शखा प्रबंधक, शाखा कटसूरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
8. उप—पंजीयक अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
9. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, अंराई तहसील जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई राजस्व वाद संख्या 13/2024

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय पोषक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 6 व 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर

प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.02.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 6 व 7 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 28.02.2025 न्याय, नियम, व रिकोर्ड के विपरित, बिना तनकियात कायम किये बिना साक्ष्य सुनवाई किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश को पढने मात्र से स्पष्ट होता है उक्त आदेश किसी स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है केवल मात्र 4 लाईनों में आदेश अंकित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उक्त जवाब में सहमती और विरोधाभासी कथन अंकित किये गये है एवं अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का ना तो जवाब लिया गया एवं ना ही किसी प्रकार से कोई एकपक्षीय कार्यवाही कि गयी एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर साक्ष्य/बयान/गवाह करवाये गयी है एवं ना ही बैंक व तहसीलदार का जवाब प्राप्त किया गया हैं इस प्रकार न्यायालय द्वारा अपनी विवेकिय शक्तियों का दुरुप्रयोग करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं ना ही अधिवक्ता नियुक्त किया गया है फिर भी न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजर अन्दाज करते हुये वकिल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अर्थात अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के श्री विजेन्द्र सिंह जी अंकित किया गया है जबकी न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 के अधिवक्ता विजेन्द्र सिंह जी द्वारा 3 व 6 का जवाब प्रस्तुत किया गया है इस महत्वपूर्ण बिन्दू के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 का जवाब प्रस्तुत किया गया है, एवं ना ही अपीलान्ट की उचित रूप से तामील नहीं हुई इस प्रकार न्यायालय द्वारा पूर्वागृह से ग्रसीत होकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस महत्वपूर्ण सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात तहसीलदार द्वारा ग्राम कालानाडा के खसरा नम्बर 138, 136 का जो विभाजन किया गया जिसमें 138/4 रास्ता दर्शाया गया है उस रास्ते से मुख्य रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह खसरा नम्बर 109 है जिसमें मिलान नहीं होता है जबकी विभाजन 136, 138 का मुख्य सड़क खसरा नम्बर 109 से भी सहखातेदारों का विभाजन किया जाना आवश्यक था वर्तमान कुर्रेजात के अनुसार खसरा नम्बर 138/4 रास्ता दर्शाया गया है उस रास्ते की पहुँच तक नहीं कायम किया गया है उस तरफ तो खसरा नम्बर 138/4 अंकित किया उस से मैन सड़क पर नहीं आया जा सकता है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व आदेश एवं कुर्रेजात निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 133 व 132 में वादी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जो हिस्सा निहित किया गया है वह पाल जो खसरा नबर 139 है जो पाल संयुक्त रूप

से आर्थिक व शारिरिक व परिश्रम करके 20–25 वर्ष पूर्व तैयार कि गई जबकि विभाजन में अपीलार्थी पाल से दूर कर दिया गया है इस विभाजन के अनुसार पाल से दुर कर दिया एवं पाल केवल हिस्सा अंकित कर दिया जबकि काश्तकार पाल पर वर्षा ऋतु अपने जानवर को चराई करने में काम आती है एवं फसल के समय पाल पर उगी घास काटी जाती है तो अपीलार्थी का अन्य खसरान में दुरी दर्शाया कर विभाजन किया है तो पाल का उपयोग उपभोग से वंचित करने की गरज से विभाजन प्रस्ताव तैयरा किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा तालाब के पास रखा गया है जिससे अपीलार्थी उक्त कुरेजात के अनुसार पानी–चराई क्षेत्र में फसल, बुआई करने में परेशानी होगी इस कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा मिली भगत करके कुरेजात तैयार किया गया है। विभाजन के वाद में भू–धारी आवश्यक पक्षकार है राजस्व रिकार्ड के अनुसार वास्तविक स्थिती के लिये तहसीलदार का जवाब लिया जाना आवश्यक है लेकिन तहसीलदार को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बैंक भी आवश्यक पक्षकार है बैंक का आदेश में किसी प्रकार से कोई अंकन नहीं किया गया है एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में खसरा नम्बर अंकित करते हुये आदेश पारित किया गया है जबकी विभाजन के वाद में रकबा, व हिस्सा अंकित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रस्तुत तहसीलदार द्वारा बंटवारा कुरेजात आर०टी०एक्ट (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं गयी चुंकि अपीलार्थीगण को नोटिस नहीं दिया गया है बिना पक्षकारों की उपस्थिती में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद कारण की तनकियात विरचित नहीं की गयी है जबकी अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया उसमें वाद कारण को अस्वीकार किया गया चुंकि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को पूर्ण अवगत था की पूर्व में धारा 183 का वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया गया था तो उस समय का वाद कारण उल्लेखित न करके अलग वाद कारण उल्लेखित किया गया है जिसकी कोई तनकी विरचित नहीं की गयी है। जबकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी के सम्पूर्ण विवाद्यक विरचित करने चाहिए थे इस परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत आदेश व डिक्री निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के स्वयं सगे पिता श्री गोपी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन हेतु वाद संस्थित किया गया है यानि वादी स्वयं पिता है तथा प्रतिवादी स्वयं पुत्र है जिससे कि अपील का प्रयोजन स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। उक्त अपील मात्र विभाजन नहीं होने की नियत से प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी भी उक्त वादग्रस्त आराजियात में सह खातेदार काबिज काश्त है। विभाजन के वाद में वादी एवं प्रतिवादी दोनो के समान हित निहित होते है तथा प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजियात का विभाजन चाहता है परन्तु अपीलार्थी का उक्त कृत्य बिना किसी आधार के अपील कर मात्र विभाजन के वाद को लम्बित करने का है। अपीलार्थी ने अपील में मुख्य आधार स्वयं को वाद की विधिवत तामील नहीं होने से वाद कार्यवाही की जानकारी नहीं होने बाबत लिया है तथा अपने द्वारा लिये गये उक्त आधार को साबित करने के लिये किसी प्रकार की कोई दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, ना ही अनुपस्थिति का कोई

कारण भी उल्लेखित किया गया है, जबकि अपीलार्थी स्वयं को वाद के सम्मन की प्रोपर तामील हो जाने का रेकार्ड न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वाद संस्थन के अगले दिन ही तामील होकर वाद कार्यवाही की समुचित जानकारी हो गई थी परन्तु अपीलार्थी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो स्वयं ना ही अधिवक्ता के हाजिर हुआ है। यहां अवधारण योग्य बिन्दु यह है कि यदि किसी पक्षकार की मुकदमा कार्यवाही में तामील हो जाती है बावजूद इसके वो कभी न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा कितने वर्षो तक उस प्रतिवादी के उपस्थित आने व जवाब प्रस्तुत करने का इन्तजार किया जायेगा ? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब कोई पक्षकार वाद कार्यवाही की जानकारी के बावजूद न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित आता है तो ऐसी अवस्था में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया जाना विधि की कोई त्रुटी है। क्या किसी पक्षकार के बाद जानकारी जानबूझकर अनुपस्थिति किसी वाद कार्यवाही को अन्तहीन बना देगी ? सिविल प्रक्रिया संहिता व रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विपरीत अपीलार्थी द्वारा मनगढन्त आधारों पर उक्त अपील संस्थित की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से बखूबी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वाद संस्थन के दूसरे ही दिन यानि दिनांक 13.04.2024 को ही वाद कार्यवाही के सम्मन तामील हो जाने से समुचित जानकारी रही है फिर भी अपीलार्थी जानबूझकर वाद कार्यवाही में शामिल होने से बचता आया है तथा जब वाद अपने विधिवत न्यायोचित विश्निचय की ओर अग्रसर है तब ऐसी अवस्था में बिना किसी आधार के वाद को लम्बित करने हेतु उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संस्थित कर दी गई है। अपीलार्थी का यह अभिवचन रहा कि न्यायालय की आदेशिकाओं में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का अंकन होने से रह गया है परन्तु वाद कार्यवाही में जब प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी हो तो ऐसी प्राथमिक डिक्री में पूर्व की समस्त आदेशिकाओं का समेकन हो जाता है यानि वाद कार्यवाही में विनिश्चय के समय प्रिसिपल ऑफ मर्जर प्रभावी होता है। ऐसी अवस्था में अपीलार्थी के लिये आवश्यक था कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही सर्वप्रथम आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. के अधीन प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध स्वयं की प्रोपर तामील नहीं होने का उज्ज्र लेते हुए प्रार्थना पत्र संस्थित किया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा नहीं कर यह जानकारी होते हुए कि प्रोपर तामील हो चुकी है, वाद की सम्यक जानकारी है इसीलिये माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संस्थित कर वाद को लम्बित किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के अर्न्तगत किसी भी व्यथित पक्षकार जो स्वयं के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध न्यायालय से अनुतोष चाहता है तो उसके लिये कानून में दो प्रकार की व्यवस्थायें दी गई है। (1) वह व्यथित पक्षकार स्वयं के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को स्वयं पर सम्मन तामील नहीं होने का आधार लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सी.पी. सी. के अधीन प्रोपर तामील नहीं होने के तथ्यों का अभिवचन लेकर उक्त तथ्य को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक दस्तावेजात जिससे सम्मन तामील नहीं होना प्रमाणित होता हो को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। (2) ऐसा व्यथित पक्षकार अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. के अधीन अपील संस्थित कर सकेगा। परन्तु यदि ऐसे पक्षकार द्वारा पूर्व वर्णितानुसार उल्लेखित उक्त दो विकल्पों में से दूसरे विकल्प के अधीन अपील, अपीलीय न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाती है तो ऐसी अवस्था में अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल सम्मन की तामील नहीं होने के तथ्य तक सुनवाई को सीमित नहीं किया जावेगा बल्कि अपीलीय प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर

किया जावेगा। माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में जो स्थिति है वो पूर्व के पेरा में वर्णित विकल्पों से भिन्न है। यहां अपीलार्थी को सम्मन की प्रोपर तामील हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके अपीलीय आदेश पारित करने तक लगभग 16 पेशीयां निकलने के बावजूद भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो ऐसी अवस्था में उक्त अपीलीय आदेश किस प्रकार विधि विरूद्ध हो सकता है बल्कि कानूनन अपीलार्थी द्वारा सम्मन तामील नहीं होने की किसी भी दस्तावेज या साक्ष्य के अभाव में उक्त अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। यहां दूसरा तथ्य यह भी माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय है कि अपीलार्थी ने उक्त अपील की मेरिट का आधार केवल मात्र एक शामलाती गैर मुमकिन पाल खसरा संख्या 139 का लिया है तथा कथन किया कि उक्त पाल अपीलार्थी द्वारा विकसित की गई है। जबकि रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उक्त पाल करीबन 50 वर्ष की अधिक अवधि से गैर मुमकिन पाल दर्ज होकर चली आ रही है तथा अपीलार्थी स्वयं की आयु 45 वर्ष से अधिक की नहीं है ऐसे में उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार अपीलार्थी पर रहता है परन्तु अपने उक्त तथ्य के समर्थन में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह सिद्ध करता हो। बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पाल 50 वर्ष से अधिक पुरानी कायम होकर राजस्व रेकार्ड में अर्वाचीन रूप से चली आ रही है। अपीलार्थी द्वारा कोई आधार या दस्तावेज ना तो सम्मन की तामील नहीं होने का तथा ना ही प्रकरण की मेरिट का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस कारण उक्त अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। धारा 99 सी.पी. सी. यह प्रतिपादित करती है कि किसी भी आदेशिका सम्बन्धी त्रुटी के आधार पर किसी भी पारित डिक्री को ना तो अपास्त किया जा सकता है ना ही प्रकरण को अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किया जायेगा। ऐसी अवस्था में अपीलार्थी का केवल यह कथन कि आदेशिका में एकपक्षीय कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण की गुणावगुण की स्थिति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है जिससे उक्त अपील सारहीन होने से काबिले खारिज है। अपीलार्थी केवल बंटवारा नहीं होने देने के उद्देश्य के कारण उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष लेकर आया है। यदि विधि विपरीत रूप से संस्थित बिना किसी आधार के, बिना किसी दस्तावेज के केवल मात्र अभिवचनों के आधार पर उक्त अपील प्रकरण को स्वीकार कर लिया जावेगा तो इससे न्याय न केवल लम्बित होगा बल्कि न्याय का उददेश्य ही समाप्त हो जावेगा तथा इस प्रकार के प्रकरण जिनका मुख्य अर्न्तवलित बिन्दु केवल मात्र वादग्रस्त आराजी का बँटवारा के अनुतोष का है तथा इसी आशय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी की प्राथमिक डिक्री न्यायोचित रूप से पारित फरमाई गई है। ऐसी अवस्था में इससे ज्यादा न्यायसंगत निस्तारण प्रकरण का जो बँटवारे के है, का नहीं हो सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के विधि सम्मत आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस

पर मनन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.02.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई।

प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 134, 137, 138, 139, 500, 501, 502, 503, 507 कुल किता 9 कुल रकबा 11.6577 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 133 रकबा 1.9497 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 5.8248 है0, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.0647 है0, खसरा 132 रकबा 6.3021 है0 उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से मुख्य उज्र वाद में विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं होने व प्रकरण में अविधिक रूप से कार्यवाही किए जाने बाबत कथन किए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के नोटिस विधिवत रूप से तामील हुए है जिनकी तामीली रसीद भी पत्रवली पर उपलब्ध है। बावजूद नोटिस तामील के अपीलांट प्रकरण में अनुपस्थित रहे ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है। चूंकि नोटिस तामील होने के उपरांत प्रकरण में अनेक पेशियां निकल जाने के पश्चात भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा अपीलांट को उक्त प्रकरण की भलीभांति जानकारी थी क्यों कि अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड एडी से जारी नोटिस स्वयं के हस्ताक्षर कर प्राप्त किए गए हैं।

अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं होने बाबत उज्र उठाए गए तो उन्हें सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिए थी परंतु अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 4/रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उनके व उनके अभिभाषक द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस सिद्धांत के अनुसार बंटवारा किए जाने हेतु सहमति प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.07.2024 को हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अलग अलग रंगो से नजरी नक्शे में दर्शाने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में किसी भी पक्षकार के हक हिस्से को कम व ज्यादा किए जाने हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 28.07.2025 को प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है, परंतु उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर